



क्रमांक:— एफ 1(05)पीएस /आकाशि /2022 / 1048

दिनांक:— 17/10/2022

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा—2018 के चयनित अभ्यर्थियों को पुनः विभाग आवंटन में चयनित/आवंटित 02 अभ्यर्थियों (NTSP) की काउंसलिंग के सम्बन्ध में।

शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(2)प्र.सु./अनु-3/2022 जयपुर, दिनांक 19.09.2022 द्वारा शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा—2018 के चयनित अभ्यर्थियों को पुनः विभाग आवंटन में चयनित/आवंटित अभ्यर्थियों में से 02 अभ्यर्थी (Non-TSP) को शीघ्रलिपिक के पद पर पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाकर नियुक्ति दिये जाने हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है।

निर्देशानुसार इन अभ्यर्थियों को जिला एवं महाविद्यालय/कार्यालय आवंटनार्थ काउंसलिंग की जानी है। अतः निम्न सूची में अंकित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि काउंसलिंग हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होकर इस पत्र के साथ संलग्न विकल्प पत्र (नियुक्ति हेतु जिला एवं महाविद्यालय का विकल्प पत्र, विभाग में उपलब्ध शीघ्रलिपिक पद की गृह जिले की रिक्तियों में से भरकर) एवं आवश्यक घोषणा पत्र/शपथ—पत्र (प्रपत्र ए से एफ) पूर्ण कर दिनांक 28.10.2022 प्रातः 11.00 बजे आवश्यक दस्तावेजों की सत्यापित एवं मूल प्रति सहित आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें :—

गैर अनुसूचित क्षेत्र

क्र. स.	मेरिट क्रमांक	नाम	पिता का नाम (श्री)	जन्म तिथि	लिंग	श्रेणी	गृह जिला	स्थाई पता
1	3209	विकास कांसोटिया	ओम प्रकाश कांसोटिया	04.05. 1996	पुरुष	OBc	नागौर	रेगरों का मोहल्ला, मु.पो. बूडसू, तहसील— मकराना, जिला नागौर। पिन—341505
2	5954	रेखा	कीरत सिंह	15.11. 1996	स्त्री	Gen.	अलवर	रेलवे फाटक के पास, रूपवास, अलवर पिन—301001

निर्देशानुसार काउंसलिंग कार्य निम्नलिखित प्रमुख शर्तों के अधीन सम्पन्न होगा –

1. नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्यवाही में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी व पति—पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयताक्रम से, उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर महाविद्यालय आवंटित किया जायेगा।
2. शेष अभ्यर्थियों को वरीयता क्रम से काउंसलिंग में सम्मिलित किया जाकर रिक्तियों के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, का निर्धारण किया जायेगा।
3. नियुक्ति अधिकारी को आवंटित किये गये चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति—पत्नी हो तो रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला/जिले में स्थान, जैसी भी स्थिति हो, में पदस्थापन किया जायेगा। इसी प्रकार पति—पत्नी में से कोई एक पूर्व से ही राज्य सेवा में जिस जिला/जिले में स्थान में पदस्थापित हों, उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार पर उसी जिला/जिले में स्थान में पदस्थापन हेतु आवंटित किया जायेगा।

4. यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो/अभ्यर्थी के माता—पिता अथवा पति/पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हों/अन्य किसी अपरिहार्य मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिला/जिले में स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो रिक्त पद उपलब्ध होने पर नियुक्ति अधिकारी ऐसे अभ्यर्थियों को तथ्यों की पुष्टि कर जिला/जिले में स्थान, जैसी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा।
5. नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों के मध्यनजर कांउसलिंग हेतु उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेगी।

निर्धारित तिथि को यदि अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करता है, तो उस अभ्यर्थी का मूल आवेदन पत्र प्रशासनिक सुधार (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर को आगामी कार्यवाही हेतु लौटा दिया जायेगा।

शीघ्रलिपिक की नियुक्ति सम्बन्धी समस्त सूचनाएं विभागीय वेबसाईट hte.rajasthan.gov.in पर Department of college education के Circulars लिंक पर अपलोड की जायेगी। अतः अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि नियुक्ति सम्बन्धी कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण प्रतिदिन विभागीय वेबसाईट के hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/Circulars.php लिंक का अवलोकन किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्न :

1. शीघ्रलिपिक पद की जिलेवार/ महाविद्यालयवार रिक्तियों की सूची
2. विकल्प पत्र का प्रपत्र
3. आवश्यक घोषणा पत्रों/शपथ पत्रों की प्रति

७
सीमा कृष्ण

17/10/2022
(डॉ. सीमा कृष्ण)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन),
कॉलेज शिक्षा जयपुर।

क्रमांक:- एफ 1(05)पीएस /आकाशि/ 2022 / 1048

दिनांक:- 17/10/2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. शासन उप सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन) आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज0 जयपुर।
4. वेब साईट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर- इस सूचना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

७
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा विभाग,
जयपुर।
17/10/2022

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर में गैर अनुसूचित क्षेत्र (NON TSP) के राजकीय
महाविद्यालयों में शीघ्रलिपिकों के रिक्त पदों की सूचना दिनांक 01.10.2022

क्र.सं.	जिला	जिले में शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों की संख्या	जिले में शीघ्रलिपिक के रिक्त पदों का वितरण	महाविद्यालय का नाम
1	अलवर	2	1	राजकीय महाविद्यालय, मुण्डावर
			2	राजकीय कन्या महाविद्यालय, टपूकड़ा
2	नागौर	1	1	राजकीय महाविद्यालय, खींवसर

सीमा कश्यप
17/10/2022
(डॉ सीमा कश्यप)
संयुक्त निदेशक (प्रशासन)
कॉलेज शिक्षा, जयपुर

शीघ्रलिपिक पद पर नियुक्ति हेतु जिला एवं महाविद्यालय/कार्यालय आवंटन हेतु
दिक्कल्प पत्र

रोल नम्बर

मेरिट नम्बर

चयन वर्ग : (टी.एस.पी./नॉन टी.एस.पी.)

क्र.स.	चाही गई सूचना	विवरण	
1	अभ्यर्थी का नाम		
2	पिता का नाम		
3	जन्म दिनांक		
4	गृह जिला		
5	कॉलेज शिक्षा विभाग में नियुक्ति हेतु इच्छित सभी जिलों में महाविद्यालय/ कार्यालय के नाम प्राथमिकता क्रम से	जिले का नाम	महाविद्यालय/कार्यालय का नाम
6	विशेष विवरण (यदि अन्य कोई है तो)		

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर मय दिनांक :

स्थाई पता मय मोबाईल नं० :

परिणाम—अ

शीघ्रलिपिक संयुक्त भर्ती परीक्षा—2018 के चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन सत्यापन हेतु चैक लिस्ट :-

अभ्यर्थी का नाम :

पिता का नाम :

रोल नम्बर :

मेरिट नम्बर :

क्र.सं.	दस्तावेज का नाम	संलग्न कर दिया गया है (हाँ / नहीं)
1	अभ्यर्थी के शैक्षणिक योग्यता सम्बन्धी मूल अंकतालिका / प्रमाण	
2	जन्मतिथि के सत्यापन हेतु सैकण्डरी परीक्षा अंकतालिका / प्रमाण पत्र	
3	कम्प्यूटर योग्यता का मूल प्रमाण पत्र (RSCIT)	
4	जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का पिता की आय के आधार पर नवीनतम जाति प्रमाण पत्र)	
5	मूल निवास प्रमाण पत्र	
6	आय उदघोषणा पत्र	
7	विवाह प्रमाण पत्र / शपथ पत्र	
8	दिनांक 01.06.2002 के पश्चात 2 से अधिक सन्तान होने / न होने का प्रमाण पत्र	
9	दहेज न लेने सम्बन्धी शपथ पत्र	
10	धुम्रपान / मद्यपान एवं गुटखा सेवन नहीं करने संबंधी शपथ पत्र	
11	विधवा / परित्यक्ता महिला द्वारा पुनर्विवाह नहीं किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र (50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)	
12	अन्तिम शिक्षण संस्थान के संस्था प्रमुख द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र	
13	दिव्यांग होने की स्थिति में निशक्तता प्रमाण पत्र	
14	दो राजपत्रित अधिकारियों से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र (6 माह से पूर्व की तिथि का ना हो)	
15	पते का प्रमाण पत्र (यथा— बिजली, पानी, टेलिफोन के बिल, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस)	
16	पत्र व्यवहार का पता	

| नोट : सभी दस्तोवज सूची में अंकित क्रमानुसार मूल प्रति व सत्यापित प्रति को व्यवस्थित करके लावें।

परिशिष्ट-'ब'

(50 रु के नौन ज्यूडिशियल स्ट्राप्स पर)

(विवाह शपथ पत्र)

प्रपत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री/श्रीमती निवारी शपथपूर्वक घ्यान करता
 हूँ/करती हूँ कि मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवारी के साथ सम्पन्न
 हुआ था। परन्तु आनेदार्य विवाह पंजीयन लागू होने से पूर्व दिनांक को रामान्त्र होने का
 कारण पंजीकृत नहीं है।

या

मेरा विवाह श्रीमती/श्री निवारी के साथ दिनांक
 को राजस्थान राज्य के बाहर सम्पन्न होने के कारण पंजीकृत नहीं हुआ है।

या

मैं अटेचाहित हूँ।

या

मैं विधुर/विवाह हु(पत्नी/पति श्री/श्रीमती
 या

मैं तलाक शुदा हूँ (प्रभाग पत्र संलग्न है)

या

मैं परिवार्यका हूँ एवं मेरा विवाह श्री के साथ दिनांक
 सम्पन्न हुआ था।

ठस्लाक्षर शपथग्रन्ति।

परिशिष्ट - सी

(50 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर)

शपथपत्र

मैं

ज्ञा/पत्री

एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि -

1. दिनांक 31.05.2002 तक मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या थी-

क्र.सं.	नाम	जन्म दिनांक
1		
2		
3		
4		

1. दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों (पुत्र एवं पुत्री) की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

दिनांक 01.06.2002 को एवं इसके पश्चात् मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्तमान मेरे बच्चों (पुत्र व पुत्री) की कुल संख्या यह है-

क्र.सं.	नाम	जन्म दिनांक
1		
2		
3		
4		

रथान:-

दिनांक:-

हस्ताक्षर शपथगृहिता

नाम

पता

गार - जो लागू नहीं हो, उसे काट दो।

- सत्यापन -

मैं उपरोक्त शपथगृहिता शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि इस शपथपत्र के पैरा 1 से 2 मेरी जानकारी में सही एवं सत्य है। इसमें कोई रात्य छिपाया नहीं गया है एवं न ही असत्य है। अतः ईश्वर मेरी सहायता करे।

हस्ताक्षर शपथगृहिता

(50/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

विवाहित अभ्यर्थी द्वारा दहेज नहीं लेने सम्बन्धी शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री शपथपूर्वक
 निवासी घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अधीन प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह दिनांक को हुआ। विवाह के समय मेरे घर वालों ने न तो दहेज लिया है/न ही दहेज दिया है। भविष्य में दहेज के लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पल्ली एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/च्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्रार्थी जिम्मेदार रहूँगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

(नाम)

घोषणाकर्ता

साक्षी :

वधु पक्ष की ओर से—

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

वर पक्ष की ओर से—

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

(50/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

अविवाहित अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला दहेज नहीं लेने सम्बन्धी शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री

निवासी शपथपूर्वक

घोषणा करता/करती हूँ कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रलिपिक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अधीन प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा शीघ्रलिपिक के पद पर नियुक्ति हेतु अभिस्तावित किया गया है।

मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब होगा तब मैं या मेरे घर वाले न तो दहेज देंगे और न ही दहेज लेंगे। भविष्य में दहेज लिए जाने के सम्बन्ध में मेरी पत्नी एवं ससुराल पक्ष की ओर से कोई शिकायत विभाग/न्यायालय में दर्ज करवाई जाती है तो मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का नियुक्तिकर्ता को पूर्ण अधिकार होगा जिसके लिए मैं प्राथी जिम्मेदार रहूँगा।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

(नाम)

घोषणाकर्ता

साक्षी :

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

1. हस्ताक्षर

नाम

पता

(50/-रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर मुद्रित करवाकर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित करावें)

चरित्र सत्यापन शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री श्री
 आयु जाति निवासी
 शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. यह कि मेरा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित शीघ्रतिपक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2018 के अधीन प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा शीघ्रतिपक के पद हेतु कॉलेज शिक्षा विभाग आवंटित किया गया है।
2. यह कि मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक/न्यायिक प्रकरण किसी भी थाना/न्यायालय में दर्ज नहीं है और न ही प्रकरण विचाराधीन है।
3. यह कि मेरी उक्त नियुक्ति के सम्बन्ध में भविष्य में पुलिस विभाग द्वारा मेरा चरित्र सत्यापन के दौरान कोई भी विपरीत तथ्य पाये जाने पर मेरी अभ्यर्थिता निरस्त करते हुए मेरी नियुक्ति समाप्त किये जाने का अधिकार आयुक्त, कॉलेज शिक्षा को पूर्ण रूप से होगा।
4. यह कि शपथ-पत्र मैं मेरे चरित्र/पुलिस सत्यापन उत्तम होने के अध्यधीन उक्त नियुक्ति हेतु प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छुपाये नहीं गये हैं जिसके लिए मैं स्वयं पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

(नाम)

घोषणाकर्ता